चिकित्सा नियमावली

1. अनुप्रयोज्यता :—

ये चिकित्सा नियमावली, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय चिकित्सा नियमावली के रूप में जानी जाएगीः—

1.1 ये चिकित्सा नियम पूर्व के सभी नियमों, परिपत्रों, एवं प्रशासनिक निर्देशों के उपर लागू होगा,ये नियम मुख्य रूप से केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा नियमावली) नियमों से लिये गए हैं तथा किसी भी संशोधन/संशोधनों की स्थिति में केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा नियमावली) नियम स्वतः गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर के कर्मचारियों पर लागु होंगे ।

1.2 ये नियम निम्न वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होंगेः—

1. नियमित/स्थायी कर्मचारी ।
2 सेवानिवृत्त, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, कर्मचारी ।

नोटः—

1. हांलाकि/बहरहाल क्रम संख्या (2) के कर्मचारियों हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये निरूपित चिकित्सा व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये अपनाया जा सकता है।

2. परिभाषाः—

2.1 अस्पताल/चिकित्सालय से आशय विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अस्पताल से है, जो नियम 6 के अन्तर्गत दी गयी सूची में सम्मिलित हैः—

2.2 परिवारः—

इन नियमों के अनुसार परिवार से आशय कर्मचारी के (पति/पत्नी के) माता—पिता, बच्चे,सौतले बच्चे, बहनें, विधवा बहनें , विधवा पुत्रियां, अवयस्क भाई जो साथ रहते हों तथा पूर्णतया कर्मचारी पर निर्भर हों ।

नोटः—

1. आश्रित होने की स्थिति में,ऐसे सदस्य की कुल मासिक आय सभी स्त्रोतों से 3500/—रूपये प्रति माह से अधिक न हो, पति एवं पत्नि दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में यह लागू नहीं होगा ।
2. सभी कर्मचारियों को इस आशय का घोषणा पत्र (परिशिष्ट 1 के अनुरूप) प्रति वर्ष तीन प्रतियों में भरना होगा तथा उचित माध्यम से वित्त अधिकारी को प्रेषित करना होगा ।
3. चिकित्सा फाइल के उद्देश्य से परिवार के मुखिया को उसका/उसकी छायाचित्र प्रस्तुत करना होगा ।

2.3 अधिकृत चिकित्सा परिचर से आशय किसी योग्य एवं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (पेशे वाले) से है, जो मान्यताप्राप्त चिकित्सा योग्यता रखता हो, जो एलोपैथिक पद्वति में एम.बी.बी.एस. से कमतर न हो अथवा होम्योपैथिक चिकित्सा एवं भारतीय चिकित्सा पद्वति में इसके समकक्ष हो ।

2.4 सरकार से आशय भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से है (जो लागू हो)

2.5 कर्मचारी से आशय गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कार्यरत (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों) कर्मचारी से है ।

2.6 ''लाभार्थी '' से तात्पर्य कार्यरत कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्य से है ।

2.7 '' रोगी '' से तात्पर्य नियमों के अन्तर्गत लाभ ग्रहण करने वाले लाभार्थी से है।

2.8 '' चिकित्सा ''

2.9 '' विशेषज्ञ '' से तात्पर्य अस्पताल में कार्यरत किसी विशेषज्ञ से है, जो कुछ समय से सरकारी अस्पताल के विशेषीकृत विभाग से जुडा हो अथवा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल से हो अथवा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर में पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी हो ।

2.10 '' चिकित्सा उपचार '' से आशय उस अस्पताल में उपलब्ध समस्त चिकित्सा एवं शल्य सुविधाओं से है, जहां रोगी का उपचार किया जा रहा हो तथा तद्नुरूप रोगी की स्थिति में सुधार के लिये ए.एम.ए./विशेषज्ञों द्वारा निहित आवश्यक दवाओं की आपुर्ति से है ।

3. **प्रारम्भ :–**

ये नियम अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावशील माने जाएंगे ।

4. **चिकित्सा योगदान :–**

इस व्यवस्था का लाभ वेतन आधारित होगा, जो कर्मचारियों द्वारा लिये जाने वाले वेतन का अंश होगा तथा इस व्यवस्था हेतु ली जाने वाली राशि की दर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ के अनुरूप सीजीएचएस द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
चिकित्सा योगदान की दर इस प्रकार होगी :–
लाभार्थी हेतु योगदान की निर्धारित दर प्रतिमाह :–

क्रम संख्यां	कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला वेतनमान	योगदान (रूपये प्रतिमाह)
1.	1650/–प्रतिमाह	50/–
2.	रू. 1800/– रू. 1900/– रू. 2000/– रू. 2400/– एवं 2800/– प्रतिमाह	125/–
3.	रू. 4200/– प्रतिमाह	225/–
4.	रू. 4600/– रू. 4800/– रू. 5400/– रू. 6600/– प्रतिमाह	325/–
5.	रू. 7600/– एवं उससे अधिक प्रतिमाह	500/–

उपरोक्त निर्धारित दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के ओ. एम. नं. एस. 11011/2/2008 – सीजीएचएस (पी) दिनांक 20.05.2009 के अनुरूप ।
इन दरों में समय–समय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप संशोधन ।

5. **स्वीकार्य चिकित्सा सुविधाएं :–**

5.1 कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए अधोलिखित प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं स्वीकार्य/मान्य होंगी :–

1. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा परिसर ।
2. अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा अधिकृत चिकित्सा परिचर

नोट – (1) अधिकृत चिकित्सा परिचर की नियुक्ति कुलसचिव के अनुमोदन द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र के परामर्श से की जाएगी ।

(1) चिकित्सा परिचर से आशय किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सालय/प्रयोगशाला अथवा निदान हेतु परीक्षण के लिए उपलब्ध/ ए.एम.ए. द्वारा अनिवार्यतः स्वीकृत चिकित्सालय/प्रयोगशाला की पैथोलाजी,रेडियोलाजी या अन्य पद्वतियों से की जाने वाली जॉच सहित कक्षों/परिसर से है ।

5.2 विशेषज्ञों द्वारा परामर्श सुविधा :–

यदि जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र/अधिकृत चिकित्सा परिचर किसी रोगी के मामले को विशेष प्रकृति का समझता है तथा अपने अतिरिक्त अन्य चिकित्सा परिचर/सुविधा की आवश्यकता समझता है, ऐसी स्थिति में वह निम्न स्थलों पर रोगी को भेज सकता है:–

(1) किसी सरकारी अस्पताल में (जहां होम्योपैथी, आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्वति हो)

(2) नियम 6 के अन्तर्गत सम्मिलित मान्यताप्राप्त अस्पताल ।

(3) समय–समय पर भारत सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल ।

6. **अधिकृत अस्पतालः—**

6.1 निम्नलिखित अनुमोदित अस्पतालों/निदान केन्द्रों के चिकित्सा ब्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु होंगे :—

1. अपोलो अस्पताल, बिलासपुर (छूट के साथ निर्धारित भुगतान कर्मचारी द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ती सीजीएचएस दर के अनुरूप की जाएगी)
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाले/सीधे विलयोपित स्वायत्त अस्पताल/निदान केन्द्र ।
3. समस्त सीजीएचएस/सीएसएमए द्वारा अनुमोदित अस्पताल/परामर्शदाता/निदान केन्द्र ।
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पैनल में सम्मिलित अस्पताल ।
5. केन्द्र सरकार कर्मचारी समन्वय समिति के पैनल में सम्मिलित अस्पताल ।
6. कुलपति/कार्यपरिषद के द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अस्पताल ।

6.2 गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर की आवश्यकतानुरूप स्थायी समिति के निम्न सदस्यों की समिति अस्पतालों के समावेश/विलोपन हेतु गठित कर सकती है:—

1. वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्साधिकारी,जीजीवी, स्वास्थ्य केन्द्र
3. कुलसचिव एवं
4. वित्त अधिकारी

नोटः— किसी आपरेशन से संबंधित ब्यय, जो कि भारत सरकार के नियमों द्वारा पूरित न हो, का भुगतान एआइआइएमएस (एम्स) की दरों के आधार पर किया जा सकता है ।

7. **इनडोर चिकित्सालय में इलाज :—**

इलाज के लिए भर्ती होने की स्थिति में, जीजीवी कर्मचारी निम्नलिखित में चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे :—

(1) सभी सरकारी चिकित्सालय

(2) किसी भी अधिकृत चिकित्सालय में, हॉलाकि, किसी अधिकृत/मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में इलाज होने की दशा में , सीजीएचएस स्कीम के तहत् भारत सरकार के द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों हेतु अधिकृत प्रतिपूर्ति सीमा तक के ब्यय ही स्वीकार्य होंगे ।

नोटः— किसी आपात स्थिति में, जब जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र/ए.एम.ए. के बंद होने अथवा किसी अन्य कारण से उपलब्ध न होने पर किसी सरकारी चिकित्सालय/मान्यताप्राप्त चिकित्सालय,जो आपात स्थिति में नजदीक हो, का परामर्श सेवा लिया/ली जा सकता/सकती है, हॉलाकि, ऐसी किसी भी परिस्थिति में जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र/ए.एम.ए. द्वारा ''इमर्जेंसी/आपात स्थिति'' का प्रमाण पत्र इलाज के समय लेना आवश्यक होगा ।

7.2 इनडोर इलाज हेतु पात्रता का निर्धारण प्रचलित सीजीएचएस नियमों के अन्तर्गत होगा।

क्रमांक	वार्ड पात्रता	वेतनमान आधारित भुगतान
1.	समान्य वार्ड	13950/— रू.तक
2.	अर्द्ध निजी वार्ड	13960/— से 19530/— रू. तक
3.	निजी वार्ड	19540/— एवं उससे अधिक

7.3 लैब चार्ज (लागत)

ए.एम.ए./जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र की सलाह पर मान्यताप्राप्त चिकित्सालयों तथा प्रयोगशालाओं में निदान हेतु कराए गए रेडियोलाजी, बैक्टीरियोलॉजी पैथोलॉजी अथवा अन्य प्रकार के परीक्षण में ब्यय लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

7.4 विशेषज्ञ चिकित्सा :—

जीजीवी बिलासपुर कर्मचारी अथवा उनके परिवार का सदस्य कैंसर, डाइबिटीज, मानसिक रोग, क्षय रोग होने की स्थिति में, ए.एम.ए./जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी की सिफारिश के आधार पर इनडोर चिकित्सा अथवा नजदीकी सरकारी/मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में इलाज करा सकता है ।

7.5 मातृत्व / प्रसूति

प्रसूति संबंधी मामलों में केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे प्रसूति संबंधी चिकित्सा हेतु अस्पताल केन्द्र सरकार की चिकित्सा नियमावली में उच्चतम सीमा सहित विनिर्दिष्ट है, निर्धारित उच्चतम सीमा (चिकित्सा नियमावली में उद्वृत) मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के संदर्भ में भी लागू होगी ।

बाह्य उपचार

कार्यस्थल से बाहर होने अथवा गृह नगर में होने की दशा में यदि कर्मचारी (परिवार के सदस्यों सहित) बिमार पड़ता है/पड़ते हैं तो वे केन्द्र/राज्य सरकार के सीजीएचएस/सीएसएमए द्वारा अनुमोदित किसी नजदीकी चिकित्सालय की सेवा ले सकते हैं तथा कतिपय मामलों मे नियमों के अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

8. चिकित्सादावों के विनियमयन हेतु नियम :–

8.1 परामर्श शुल्क/दर :–

(अ) अधिकृत चिकित्सा परिचर के परामर्श शुल्क की दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दर के अनुरूप होगा ।

(ब) बाह्य उपचार हेतु किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सालय द्वारा लिये गये परामर्श चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाली अधिकतम राशि के अनुरूप देय होगा

8. 2 एएमए/जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निर्धारित स्वीकार्य दवाओं के ब्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एएमए/जीजीवी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नकदी रसीद, बाउचर, भुगतान की रसीद आदि प्रस्तुत करनी होगी, ओपीडी उपचार के मामले में (मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में) प्रमाण पत्र ''अ'' और ''ब'' के संदर्भ में आवश्यक नहीं है, लेकिन इनडोर रोगी के रूप में उपचार हेतु सभी मामलों में संबंधित चिकित्सालय से ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा ।

8.3 ब्यय के विवरण के अन्तर्गत दवाओं के स्थान पर मुख्यतः खाद्य पदार्थ, टानिक, कीटाणुनाशक द्रव्य स्वीकार्य नहीं होंगे ।

8.4 केन्द्र सरकार के सिविल सेवा चिकित्सा नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य न होने वाली दवाओं के संदर्भ में प्रतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा ।

8.5 इलाज की अवधि में खर्च होने वाली दवाओं की लागत की वापसी (सीमित तिथि) इलाज की तिथि से 20 दिन के भीतर होगी, 20 दिन की निर्धारित अवधि में इलाज पूरा न हो पाने की स्थिति में, रोगी को किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में स्थानांनतरित किया जा सकता है तथा रोगी के अस्पताल से छुट्टी मिलने पर ब्यय प्रतिपूर्ति जारी रहेगी ।

8.6 बीमार की अवधि में हुए चिकित्सा ब्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी दावों का निराकरण इलाज पूर्ण होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर संबंधित एएमए/जीजीवी स्वास्थ्य केन्द्र से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

8.7 चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी बिल कर्मचारी के संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित कराकर वित्त अधिकारी को भेजा जाएगा ।

8.8 किसी कर्मचारी के पति/पत्नी के भारत सरकार का कर्मचारी होने अथवा किसी संस्थान में नौकरी होने की दशा में, यदि वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है तो वे नियमानुसार सुविधा का/परिवार के लिए मिलने वाली चिकित्सा सुविधा का चयन इच्छानुसार कर सकते हैं इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारी पति/पत्नी को स्पष्टीकरण जमा करना होगा ।

8.9 इन नियमों के कियान्वयन में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा नियमावली) के अन्तर्गत निर्दिष्ट नियम लागू होंगे ।

8.10 कुलपति पर नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुरूप पृथक से ये नियम लागू होंगे ।

9. नियंत्रक अधिकारी

विश्वविद्यालय का कुलसचिव सभी कर्मचारियों का नियंत्रक अधिकारी (कुलपति को छोड़कर) होगा ।

10. नियमों की व्याख्या

इन नियमों के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह/प्रश्न उपस्थित होने की दशा में कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

11. केन्द्र शासन के आदेशों का उपयोग :–

अन्य सभी मामलों में जिसका उल्लेख इन नियमों में नहीं है, समय–समय पर संशोधनों के साथ सीजीएचएस लाभग्राहियों के लागू नियम एवं केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत जारी निर्देश/आदेश गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कर्मचारियों के लिए आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगें। इसमें योजना से विशेष रूप से बहिस्कृत मामले शामिल नहीं है।